न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या:– 43/2023

बालूलाल पिता हेमा जी जाति धाकड निवासी चेची तहसील बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1– अर्जुन पिता मोतीलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
2– गोविन्द पुत्र मोतीलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
3– श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ
विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री आपीश सोनी
अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 2

आदेश दिनांक ::– 10.12.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा चेची प.ह. चेची में प्रार्थी की पैत्रिक खातेदारी व कब्जे की कृषि आराजीयात राजस्व हमावंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकवा हैक्टर
248	1552/1421	0.3240

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित प्रार्थी की पैत्रिक खातेदारी की कृषि आराजीयात पर प्रार्थी निरंतर कावीज होकर उपयोग उपभोग कर अपनी आजीविका चलाता आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित आराजी संख्या 1552/1421 रकवा 0.3240 हैक्टर भूमि के लगती हुई कृषि आराजी प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.9.2017 को क्रय की है तथा क्रय दिनांक से ही प्रार्थी क्रयसुदा कृषि भूमि पर कावीज हो काश्त करता आ रहा है।

यह कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मौजा चेची की आराजी संख्या 1421/8 रकवा 0.9710 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थी ने रकवा 0.3240 हैक्टर भूमि क्रय कर क्रय दिनांक से ही कब्जा प्राप्त कर लिया तथा राजस्व कर्मचारियो ने उक्त क्रयसुदा आराजी के नये नम्बर 1552/1421 बढते हुए नम्बर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुए तथा प्रार्थी बढते हुए नंबर पर प्रार्थी की पैत्रिक कृषि आराजी संख्या 1421/13 के लगती हुई आराजी संख्या 1552/1421 रकवा 0.3240 हैटर भूमि पर क्रय दिनांक 18.9.2017 से काबीज हो काश्त कर रहा है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता के जीवित समय से ही प्रार्थी पैत्रिक भूमि के समीप ही आराजी संख्या 1552/1421 पर काबीज हो काश्त कर रहा है लेनि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रेकार्ड के नक्शें में तरमीम गलत कर दी गई है जबकि मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण आराजी संख्या 1421/13 से लगती हुई प्रार्थी की क्रयसुदा आराजी 1552/1421 पर कावीज हो काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से 1421/13 से लगती हुई भूमि 1421/8 को राजस्व रेकार्ड के नक्शें में तरमीम कर दी है जो एक लिपिकीय भूल है।

यह कि प्रार्थी की पैत्रिक आराजी संख्या 1421/13 से लगती हुई क्रयसुदा आराजी संख्या 1552/1421 की राजस्व रेकार्ड के नक्शे में मौके पर कब्जे अनुसार एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में अंकित अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण आपसी सहमति से तरमीम कराये जाने हेतु सहमत है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है। विपक्षी संख्या 1 व 2 आवश्यक होने से एवं श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूँ राजस्व रेकार्ड में नक्शे में तरमीम किये जाने में आवश्यक होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा चेची प.ह. चेची तहसील बेगूँ में प्रार्थी की पैत्रिक आराजी संख्या 1421 से लगती हुई क्रयसुदा आराजी संख्या 1552/1421 की राजस्व रेकार्ड के नक्शे में मौके पर कब्जे अनुसार एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में अंकितानुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आषीश सोनी उपस्थित आए तथा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश कर निवेदन किया कि वर्णित आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी नहीं है। वर्णित आराजी प्रार्थी द्वारा कय किया जाना स्वीकार है। प्रार्थी ने हमारे पिता से भूमि कय करने के बाद कब्जे का लेन देन आराजी संख्या 1421/3 के लगते हुये लिया था और भविष्य में हमारे मध्य विवाद नही हो इस नियत से प्रार्थी ने उक्त कयशुदा आराजी की तरमीम भी स्वयं प्रार्थी की उपस्थिति में ही राजस्व कर्मचारियों से करवायी थी। राजस्व कर्मचारियों ने भी मौके पर कब्जे अनुसार ही आराजी की तरमीम रेकार्ड में की जा की सही है। लेकिन हमारे द्वारा वर्तमान में हमारी आराजी पर भूमि सुधार करवाया लिया जाने से प्रार्थी के मन में बदनियती आ जाने से प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या चार गलत होकर अस्वीकार है राजस्व कर्मचारियों ने नकशे की तरमीम मौके पर कब्जानुसार खातेदरों का कब्ज देखकर की गई जो की सही है। और हमारे पिता के द्वारा भी प्रार्थी को उक्त आराजी का कब्जा आराजी संख्या 1421/3 के लगते हुये ही सिपुर्द किया था। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं पॉच गलत होकर अस्वीकार है। हमारे पिता जी अनपढ होकर वृद्ध थे जो पढने लिखने में असमर्थ थे। हमारे पिता ने आपको जहां कब्जा दिया वही आपने कब्जा लिया और राजस्व कर्मचारियों ने भी आपका कब्जा स्थिति देख कर नक्शे मे तरमीम की है जो सही हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब भूमिधारी तहसीलदार बेगूं द्वारा प्रस्तुत नही किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत होने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि 1552/1421 आराजी विपक्षीगण से कय दिनांक 18.9.2014 को 32 आरी कय की गई थी रजिस्ट्री 0.32 हैक्टर आराजी संख्या 1421/13 जो पुश्तैनी है से लगती हुई है जिसके बढते हुए नम्बर पडे है, नक्शे में तरमीम गलत कर दी गई है जिसे सही करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी ने भूमि मेरे पिता से कय की थी, पटवारी ने कब्जे अनुसार ही नम्बर डाला है, प्रार्थी हमारे द्वारा भूमि सुधार करवाने के बाद आ रहा है। बटवाडा करवाया तब प्रार्थी कहा थे। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं छायाप्रति विकय विलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी पैत्रिक कृषि आराजी संख्या 1421/13 के लगती हुई भूमि को कय कर कय दिनांक से ही उस पर काविज होना बताया है। नक्शाट्रेस में प्रार्थी की कयशुदा आराजी संख्या 1552/1421 की तरमीम जो दर्शाई गई है वह आराजी संख्या 1421/8 व 1421/3 के मध्य में तरमीम होना दर्शाया गया है जवकि प्रार्थी द्वारा भूमि कृषि आराजी संख्या 1421/13 से लगती हुई कय किया जाना अंकित किया है व इसी अनुसार विकय विलेख निष्पादित किया है। प्रार्थी का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा चेची प.ह. चेची में प्रार्थी की पैत्रिक आराजी संख्या 1421/13 से लगती हुई कयसुदा आराजी संख्या 1552/1421 की राजस्व रेकार्ड के नक्शे में मौके पर कब्जे अनुसार एवं रजिस्टर्ड विकय विलेख में अंकितानुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 10.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

प्रार्थना पत्र संख्या 43/2023 व अनवान बालूलाल बनाम अर्जुन वगै. प्रा.पत्र अ.धा. 136 एल.आर.ए. में किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)